THE UTTAR PRADESH REPEALING ACT, 2022
(U. P. Act No. 18 of 2022)

— –

ARRANGEMENT OF SECTIONS

--

Sections :

1- Short title

2- Repeal of certain enactments

3-Savings

-Schedule

उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2022[1]

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2022)

जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2022 जिससे विधायी अनुभाग–1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2022 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

अधिनियम

कतिपय अधिनियमितियों, जो वर्तमान समय में अप्रचलित और अनावश्यक हो गयी हैं, का निरसन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2022 कहा जायेगा।

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन

2–नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियाँ एतद्द्वारा निरसित की जाती हैं।

व्यावृत्ति

3–इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से,–

(क) ऐसी कोई अन्य अधिनियमिति प्रभावित नहीं होगी जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गयी हो, सम्मिलित की गयी हो या निर्दिष्ट हो ;

(ख) पहले से कृत या ग्रस्त किसी बात अथवा पहले से अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा तत्सम्बन्धी किसी उपाय या कार्यवाही अथवा पहले से स्वीकृत किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या माँग या क्षतिपूर्ति के या से किसी प्रकार के निर्मोचन या उन्मोचन अथवा किसी पूर्व कृत कार्य या बात के प्रमाण की विधि मान्यता, अविधिमान्यता, अर्थ या परिणाम प्रभावित नहीं होंगे ;

(ग) इस बात के होते हुए कोई सिद्धान्त या विधि का नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया का प्रारूप या प्रक्रम अथवा विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति प्रभावित नहीं होंगे की एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, में या से उनकी क्रमशः किसी भी रीति से अभिपुष्टि कर ली गयी होगी या उन्हें मान्यता प्रदान कर दिया गया होगा या उन्हें व्युत्पन्न कर लिया गया होगा ;

(घ) कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया अथवा सम्प्रति अविद्यमान या अप्रवृत्त कोई अन्य विषय या बात पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं होंगे;

(ङ) लेखा–परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या तत्सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी द्वारा कृत या की जाने वाली कोई अन्य कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी और ऐसी लेखा–परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या कार्यवाही की जा सकती है, और या जारी रखी जा सकती है मानों उक्त अधिनियमितियाँ इस अधिनियम द्वारा निरसित न की गयी हों।

---

[1]. उद्दश्य और कारणों हेतु इस अधिनियम के अन्त में देखें।

अनुसूची

(धारा 2 देखें)

निरसित किये जा रहे अधिनियम

1	संयुक्त प्रान्त चिकित्सालय प्रान्तीयकरण अधिनियम,1947 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1947)
2	उत्तर प्रदेशीय अपराध रोकने का (विशेषाधिकार) (संशोधन) अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1950)
3	उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि (अनुपूरक) अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 1953)
4	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1960 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1960)
5	उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) अधिनियम,1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1961)
6	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1963 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1964)
7	उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966)
8	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1970 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1971)
9	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय–कर की वसूली) (संशोधन) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1972)
10	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय–कर की वसूली) (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम,1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1974)
11	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय–कर की वसूली) (संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1974)
12	उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 37 सन् 1975)
13	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1976)
14	उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1976)
15	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1976)
16	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1979)
17	उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 1982 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1982)
18	उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 1985 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 1985)
19	उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 1989 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1989)
20	उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 2003 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2003)

21	उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2003)
22	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2004)
23	उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2005)
24	उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2006)
25	उत्तर प्रदेश किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2006)
26	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 2006)
27	उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (निरसन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2007)
28	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2007)
29	छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 2007)
30	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 2007)
31	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2008)
32	उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2008)
33	उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2009)
34	उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2010)
35	उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2013)
36	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2020)।

उद्देश्य और कारण

यह विधेयक उन आवधिक उपायों में से एक आवधिक उपाय है जिनके द्वारा उन अधिनियमितियों, जो वर्तमान समय में अनावश्यक एवं अप्रचलित हो गयी हैं, का निरसन किया जाता है। राज्य विधि आयोग की सिफारिश पर तथा नागरिकों एवं उद्योगों के लिये कारबार में सुगमता प्रदान करने हेतु विनियामक अनुपालन सम्बन्धी भार को कम करने तथा वैधीकरण करने के उद्देश्य से वर्तमान में अनावश्यक एवं अप्रचलित हो चुकी या पृथक अधिनियमों के रूप में बने रहना अनावश्यक हो चुकी अधिनियमितियों का, प्रशासकीय विभागों से तत्सम्बंध में सहमति प्राप्त करने के पश्चात् वर्ष 2022 के राज्य विधान मंडल के तृतीय सत्र में विधेयक पुरःस्थापित करके, निरसन किये जाने का विनिश्चय किया गया है।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2022 पुरःस्थापित किया जाता है।